

शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

Phone: 0172-2590505
: 0172-2586026

HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD
(Regd. Under Societies Registration Act, 1860)
Govt. of Haryana

सेवा में

राज्य के सभी

1. जिला शिक्षा अधिकारी
2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी
3. जिला परियोजना समन्वयक
4. खंड शिक्षा अधिकारी
5. खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी
6. सभी संकुल मुखिया, प्रभारी
7. सभी विद्यालयों के मुखिया, प्रभारी
8. अध्यक्ष, स्कूल प्रबंधन समिति

यादी क्रमांक:- 35/YEC/ 28252- 28322

दिनांक:- 21/03/2025

विषय: राज्य को जीरो ड्रॉप आउट बनाने व राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के तहत "प्रवेश उत्सव" कार्यक्रम आयोजित किए जाने बारे।

उपरोक्त के विषय के संदर्भ में उल्लेख है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुपालना में पूर्व प्राथमिक से 18 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा में लाना मुख्य कार्य है। हालांकि राज्य में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 100 प्रतिशत नामांकन, ठहराव बनाए रखना, अवस्थांतर करवाना, उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 2 व 3 की अनुपालना में अनिवार्य अंग है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि छम्च्छम् को समुचित किया जाए। इसमें इसे वर्ष 2030 तक 100 प्रतिशत करने पर बल दिया गया है तथा उच्चतर शिक्षा में इसे 28 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाना है। शिक्षा विभाग तथा सभी स्कूल मुखियाओं एवं अध्यापक समाज को इस पर व्यापक ध्यान देने की आवश्यकता है।

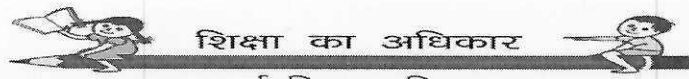
विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाए जाने के लिए उठाए जा रहे कल्याणकारी कदम:-

1. विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा समय-समय पर विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है तथा राज्य में सरकारी स्कूल शिक्षा को बढ़ावा देने का निरंतर प्रयास किया जाता रहा है जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करना, निशुल्क शिक्षा के प्रावधानों के लिए समुचित बजट व्यवस्था करना शामिल है। विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं:-

- विभाग की गुणात्मक सुधार के प्रति वचनबद्धता।

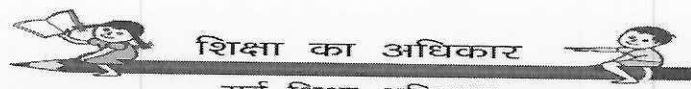
Shiksha Sadan, 3rd & 4th Floor, Sector- 5, Panchkula

||Web Site : www.hsspp.in ||



HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD
(Regd. Under Societies Registration Act, 1860)
Govt. of Haryana

- उच्च शिक्षा प्राप्त प्रशिक्षित एवं मेहनती अध्यापक ।
- सी.सी.ई. के अन्तर्गत नियमित मूल्यांकन एवं SAT के माध्यम से परीक्षा (Avsar Mobile App)
- प्रत्येक शनिवार ज्यायफुल सेटरडे (खेल-खेल में शिक्षा) ।
- NEET तथा IIT/JEE का निःशुल्क प्रशिक्षण तथा शानदार परिणाम (सुपर-100)
- प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निःशुल्क प्रशिक्षण (मिशन बुनियाद)
- प्रत्येक माह बच्चे की प्रगति के बारे में अभिभावक के साथ बैठक (PTM)
- मुफ्त वर्दी, पुस्तकें, स्कूल बैग, स्टेशनरी (कक्षा पहली से आठवीं तक) ।
- निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच एवं उपचार (बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम) SEHAT चतवहतंउउम
- अनुसूचित जाति के कक्षा छठी एवं नौवी के विद्यार्थियों के लिए मुफ्त साइकिल सुविधा ।
- मेधावी विद्यार्थियों के लिए अनेक प्रकार की छात्रवृत्ति सुविधा ।
- SC/BC-A/BPL बच्चों के लिए मासिक व वार्षिक प्रोत्साहन राशि ।
- स्वच्छ एवं पौष्टिक मध्याह्न भोजन (Mid-Day-Meal)
- राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की सहपाठ्य गतिविधियां जिसमें खेल, योग, नृत्य, गायन पेंटिंग इत्यादि को प्रोत्साहन व खेलो इण्डिया खेलो स्कूल गेम में शानदार प्रदर्शन (कला उत्सव तथा बाल रंग) ।
- छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना का विस्तार करते हुए श्विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना के अन्तर्गत एक किलोमीटर से अधिक दूरी के स्कूल में जाने की निःशुल्क व्यवस्था अब लड़कों के लिए भी उपलब्ध है ।
- प्रत्येक विद्यालय में क्विज क्लब के माध्यम से गतिविधियां, कौन बनेगा लखपति प्रतियोगिता ।
- स्किल पासबुक, कक्षा तत्परता, शिक्षण संवर्धन कार्यक्रम तथा कैचअप कार्यक्रम ।
- Foundational Literacy and Numeracy (FLN) Programme/NIPUN Programme
- शानदार खेल सुविधा एवं प्रतियोगिताओं में भागीदारी ।
- जीवन कौशल शिक्षा, परामर्श एवं मार्गदर्शन व्यवस्था ।
- कलस्टर विद्यालयों में विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रयास किए गए जैसे STEM लैब की स्थापना ।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) के तहत कलस्टर विद्यालयों का सशक्तिकरण, कलस्टर प्रबन्धन समिति तथा कलस्टर विकास योजना ।



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

Phone: 0172-2590505
: 0172-2586026

HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD
(Regd. Under Societies Registration Act, 1860)
Govt. of Haryana

- 1420 राजकीय मॉडल संस्कृति प्राथमिक विद्यालयों (GMSPS) की स्थापना की गई।
- 146 राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों (GMSSSS) व 124 पीएम श्री स्कूलों की स्थापना।
- Schools वित्त Rising India राज्य में संचालित हैं जिनमें GMSSSS की भांति सभी ढांचागत सुविधायें उपलब्ध है।
- छव। की कोचिंग के लिए विशेष प्रबन्ध।
- ई अधिगम योजना जिसमें कक्षा 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट एवं 2 GB Internet सुविधा।
- पूर्व प्राथमिक शिक्षा ECCE के तहत बालवाटिका-3 की कक्षाओं का प्राथमिक विद्यालयों में संचालन
- टीचरों के लिए गतिविधि आधारित शिक्षण से युक्त निःशुल्क टैबलेट का वितरण

23 मार्च 2025 से 30 अप्रैल 2025 तक आयोजित होने वाले नामांकन व प्रवेश उत्सव कार्यक्रम में उपरोक्त सुविधाओं को आम नागरिकों, विद्यार्थियों तथा अभिभावकों तक पहुँचाने के लिए राज्य के विद्यालयों में एस०एम०सी० तथा स्कूल मुखियाओं द्वारा मिलकर दाखिला सम्बन्धी सूचना का बैनर (गैर सरकारी विद्यालयों की भांति) लगाया जाना है। गत वर्ष कुछ विद्यालयों (SMC) द्वारा यह प्रयास भी किया गया जो सफल रहा। जिन विद्यालयों में 10+1 में विज्ञान संकाय है विशेषकर ऐसे विद्यालय अपने क्षेत्र के बच्चों को (सरकारी तथा गैर सरकारी विद्यालयों से 8 वीं और 10 वीं पास करने वाले बच्चों को) स्कूलों में लेकर आये। इसके लिए विशेष नामांकन अभियान चलाया जाये। बच्चों का दाखिला उसके घर पर जाकर किया जाए। ऐसे माता-पिता जो अपने बच्चों की शिक्षा जारी रखने में अरुचि दिखाते हैं तथा जिनके ड्राप आउट होने की संभावना अधिक है, उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क किया जाये तथा उन्हें बच्चों के दाखिले हेतु अभिप्रेरित किया जाये तथा स्कूल स्तर पर भी निम्नानुसार कार्यक्रम किया जाना है:-

- **दाखिला आरम्भ:-** सभी राजकीय विद्यालयों में दाखिला प्रक्रिया 01 अप्रैल 2025 से आरम्भ की जानी है। प्रत्येक स्कूल अपने स्तर पर इस बारे में व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करे तथा इसकी प्रत्येक बच्चे तक पहुँच सुनिश्चित करे।
- **परीक्षा परिणाम की घोषणा:-** 01 अप्रैल 2025 को सभी राजकीय विद्यालयों में वार्षिक परीक्षा परिणाम घोषित किये जायें। इसी दिन बच्चों को नई अगली कक्षा की पुस्तकों का वितरण अनिवार्य रूप से किया जाए।
- **अवस्थान्तर (Transition) के लिए प्रयास:-** पांचवीं पास करने वाले विद्यार्थियों का अगली कक्षा में उसी दिन नामांकन कर दिया जाये। जिन पांचवीं पास विद्यार्थियों के गांव में उच्च प्राथमिक स्कूल नहीं है, उस मामले में प्राथमिक स्कूल मुखिया 02 अप्रैल 2025 को सभी

Shiksha Sadan, 3rd & 4th Floor, Sector- 5, Panchkula

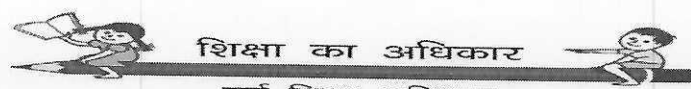
||Web Site : www.hsspp.in ||



HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD
(Regd. Under Societies Registration Act, 1860)
Govt. of Haryana

पांचवीं पास कर चुके बच्चों को विद्यालय में बुलायें तथा प्रार्थना पत्र पर माता-पिता के हस्ताक्षर करवाने हेतु बच्चों को दें। इस सन्दर्भ में अन्य सभी प्रकार की औपचारिकताएं भी 02 अप्रैल 2025 को इसी दिन पूरी कर ली जाएं, जिसमें Online SLC जारी करना भी शामिल है, इसी दिन स्कूल मुखिया अपने स्कूल से पास हो चुके विद्यार्थियों का समूह लेकर पड़ोस के नये उच्च प्राथमिक विद्यालय में वांछित रिकार्ड के साथ जायें तथा उन विद्यार्थियों का उस स्कूल में दाखिला करवा कर वहां के कक्षा अध्यापक से उन बच्चों का परिचय करवा कर आयें। नये स्कूल का कक्षा प्रभारी एवं स्कूल मुखिया सभी बच्चों को 03 अप्रैल से निरंतर रूप से स्कूल आने हेतु अभिप्रेरित करेंगे। नये स्कूल में आए बच्चों का स्वागत तिलक लगाकर, गले में फूल मालाएं पहनाकर किया जाए। पांचवी कक्षा से छठी कक्षा में अवस्थान्तर (Transition) को 100 प्रतिशत किया जाए। नये दाखिल विद्यार्थियों को उसी दिन पाठ्य पुस्तकें दे दी जाएं। प्रवेश उत्सव कार्यक्रम व नये दाखिल बच्चों के स्वागत की फोटो, वीडियो, समाचार स्कूल अपने फेसबुक पेज पर अपलोड करने के साथ-साथ स्थानीय समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित करवाने हेतु भी भिजवाएं।

- **दाखिला प्रक्रिया एवं सूचना:-** दाखिला सम्बन्धित सभी औपचारिकतायें उच्च प्राथमिक विद्यालय द्वारा तुरन्त प्रभाव से पूरी कर दी जायें। किसी भी बालक को किसी भी अवस्था में स्कूल उसे दाखिले से वंचित न करें। इस सन्दर्भ में माता-पिता और विद्यार्थी को स्पष्ट रूप से अवगत करवा दिया जाये कि अब दाखिला सम्बन्धी कोई प्रक्रिया या कार्य बाकी नहीं है। बच्चे अपनी पढ़ाई आरम्भ कर सकते हैं।
- **आठवीं से नौवीं में अवस्थान्तर (Transition):-** आठवीं कक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों का दाखिला भी इसी प्रकार किया जाये क्योंकि सबसे ज्यादा dropout कक्षा 9 में होता है विशेषकर लड़कियां इससे अधिक प्रभावित होती हैं। इस सन्दर्भ में उन बालिकाओं की पहचान अवश्य कर ली जाए, जिनके माता-पिता उन्हें नौवीं कक्षा में पढ़ाना नहीं चाहते। कक्षा नौवीं के दाखिले के सन्दर्भ में तिथि 02 अप्रैल से 13 अप्रैल तक रखी गई है तथा इसका प्रचार-प्रसार भी सम्बन्धित विद्यालय द्वारा किया जाए। नौवीं कक्षा में तुरन्त 02 अप्रैल से ही पठन-पाठन का कार्य आरम्भ कर दिया जाये।
- **कक्षाओं का आरम्भ:-** स्कूलों में कक्षायें अप्रैल मास में तुरन्त आरम्भ कर दी जायें क्योंकि इस मास में फसल कटाई का कार्य आरम्भ हो जाता है जिसमें माता-पिता और विद्यार्थी लगभग 20 दिन के लिए व्यस्त हो जाते हैं। प्रायः यह देखने में आया है कि अधिकतर माता-पिता कटाई के बाद मई मास में ही स्कूल से बच्चे के दाखिले के लिए सम्पर्क करते हैं।



HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD
(Regd. Under Societies Registration Act, 1860)
Govt. of Haryana

- **दाखिला रिपोर्ट संकलन:-** 11 अप्रैल तक बच्चों के दाखिले की रिपोर्ट बनाकर प्रत्येक विद्यालय, खण्ड एवं जिला स्तर पर उपलब्ध करवायें तथा यदि कोई बच्चा इस दौरान छूट गया है तो उसकी सूचना अलग से तैयार की जाये। प्रत्येक ऐसा विद्यार्थी जिसका स्कूल बदल रहा हो जैसे (पांचवीं से छठी में, आठवीं से नौवीं में तथा दसवीं से ग्यारहवीं में, उसके SRN से उसका दाखिला अगली कक्षा अथवा अगले स्कूल में करवाना पिछले स्कूल की जिम्मेवारी होगी।
- 3. **बालवाटिका-3 की कक्षाओं में दाखिले को बढ़ावा देना:-**
 - **सामुदायिक जागरूकता और सहभागिता:-** विद्यालय बालवाटिका-3 की कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए गाँव और समुदाय में विशेष जागरूकता अभियान चलाएँगे ताकि माता-पिता को छोटे बच्चों को बालवाटिका-3 में नामांकित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। प्रवेश उत्सव के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सदस्य, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य, शिक्षकगण, NGO के सदस्य स्थानीय प्रभावशाली लोगों की मदद से स्थानीय लोगों, समुदाय को प्रारंभिक बचपन की शिक्षा के महत्व के बारे में प्रेरित करेंगे व बालवाटिका-3 के लिए पात्र बच्चों (3-6 वर्ष की आयु) की पहचान करने के लिए गांव/शहर में घर-घर जाकर दौरा करेंगे।
 - **नामांकन अभियान और माता-पिता को जागरूक करना:-** प्री-प्राइमरी सेक्शन वाले सभी सरकारी स्कूलों में मार्च से अप्रैल 2025 तक एक विशेष बालवाटिका नामांकन अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए बच्चों के माता-पिता को स्कूलों, कक्षाओं के दौरे, **interactive orientation** सत्रों में भाग लेने और प्रारंभिक बचपन सीखने के लाभों पर परामर्श के लिए आमंत्रित किया जाएगा व इसके अलावा विशेष **बालवाटिका ओपन डेज़** का आयोजन किया जाएगा, जहाँ माता-पिता कक्षाओं का निरीक्षण कर सकते हैं और बालवाटिका-3 के शिक्षकों के साथ बातचीत कर सकते हैं और बालकों की सीखने की गतिविधियों को समझ सकते हैं।
 - **बुनियादी ढाँचा और कक्षा की तैयारी:-** स्कूल यह सुनिश्चित करेंगे कि बालवाटिका की कक्षा का कक्षा-कक्ष बच्चों के सीखने को आकर्षक बनाने के लिए आयु-उपयुक्त, रंगीन और गतिविधि-आधारित हो व इन कक्षाओं में बच्चों के सीखने के अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सुरक्षित खेल क्षेत्र, **Interactive Teaching Learning Material** (टीएलएम) और आकर्षक गतिविधियाँ, बच्चों का कोना जैसी गतिविधियाँ की जाएँ। स्कूल 3-6 वर्ष के बच्चों के बालवाटिका-3 में सुचारु रूप से प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए पड़ोस के आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ भी समन्वय करेंगे।



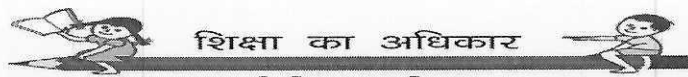
HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD
(Regd. Under Societies Registration Act, 1860)
Govt. of Haryana

4. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (CWSN) के दाखिले के सन्दर्भ में:— CWSN बच्चों का दाखिला नये स्कूल वातावरण में समायोजन, बालक तथा अभिभावक दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण विषय है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के सम्बन्ध में Special Teacher अपना विशेष योगदान देंगे। CWSN बच्चों को transition के दौरान भी कठिनाई होती है। अतः व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर इन्हें नये स्कूल में समायोजित किया जाये। यदि इसके लिए किसी प्रकार की यातायात की आवश्यकता होती है तो ऐसे बच्चों की सूची बनाकर तुरन्त यातायात प्रबन्ध का प्रस्ताव दिया जाये। बच्चा किसी भी हालात में आगे बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने से वंचित न रहे इसके लिए निम्न बिन्दुओं पर Special Teacher कार्य करें:—

- अनिवार्य दाखिला या अवस्थान्तर (प्रत्येक दाखिल बालक पर व्यक्तिगत ध्यान देना तथा उसके दाखिला प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना)।
- बालक का नये विद्यालय/कक्षा में समायोजन (यातायात, कक्षा-कक्ष का बाधामुक्त वातावरण, कक्षा में सीट का प्रबन्ध, रोशनी व्यवस्था आदि)।
- बालक की IEP का नये स्कूल के अध्यापकों को हस्तान्तरण (सम्पूर्ण जानकारी क्षमताओं और कमजोरियों का पूरा आंकलन, विवरण आदि देना)।
- बालक की special need जैसे सहायक उपकरण की पूरी जानकारी का नये स्कूल/अध्यापकों के साथ चर्चा कर देना।
- यातायात व्यवस्था के प्रबन्ध सम्बन्धी सभी औपचारिकताओं (यातायात का साधन, घर से दूरी, घर का पूरा पता, रूट चार्ट आदि) को पूरा करना।
- सहपाठियों से समावेश (आवश्यक प्रशिक्षण, सहापाठ्य क्रियाओं में समावेश)।
- आरम्भ के दो मास बच्चों का अवलोकन एवं निरूपण आदि।

5. विद्यार्थियों का सरकारी स्कूलों में अवस्थानांतर (निजी स्कूलों से):—

- गांवों और शहरी क्षेत्रों में नामांकन अभियान:— स्कूल निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में आने के इच्छुक विद्यार्थियों की पहचान करने के लिए डोर-टू-डोर सर्वेक्षण का कार्य करेंगे व इन बच्चों व इनके अभिभावकों को विद्यालय में मिलने वाली बेहतर सुविधाओं, शिक्षकों की गुणवत्ता और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के लाभों के बारे में जागरूक किया जाए।
- राजकीय विद्यालय का बैनर, होर्डिंग्स, बाजार और भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर लगाएं, जिनमें हरियाणा के सरकारी स्कूलों के छात्रों की शैक्षणिक उपलब्धियों का



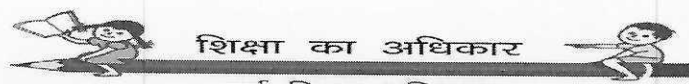
HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD
(Regd. Under Societies Registration Act, 1860)
Govt. of Haryana

उल्लेख हो और साथ ही सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं और अन्य पहलों का भी उल्लेख किया जाए।

- निजी स्कूलों से आने वाले नामांकन पर नज़र रखना:— निजी स्कूलों से सरकारी स्कूलों में आने वाले सभी विद्यार्थियों का रिकॉर्ड रखें और उनकी पढ़ाई और शैक्षणिक प्रगति पर नज़र रखी जाए।
- ऐसे विद्यार्थियों के माता-पिता से चर्चा करें, जो अपने बच्चों SLC को लेकर उन्हें प्राइवेट स्कूल में भेजना चाह रहे हैं।

6. जीरो ड्रॉप आउट:— ऐसे बच्चे जो पिछले 3 वर्षों में Dropout हुए हैं, उन्हें विद्यालय में लाया जाना अति आवश्यक है, इसके लिये निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:—

- प्रत्येक गाँव/वार्ड स्तर पर स्कूलवार डेटा लेकर सभी Dropout विद्यार्थियों की पहचान की जाए। उनके जो भी नेबरहुड क्षेत्र तथा नेबरहुड विद्यालय है उसके माध्यम से इस प्रकार की कार्यवाही की जाए।
- आंगनवाड़ी रजिस्टर, जन्म-मृत्यु रजिस्टर, CMO कार्यक्रम, Village Education Register से आंकड़ा लिया जाए ताकि सभी प्रकार से कोई भी विद्यार्थी न छूट पाए।
- Out of School बच्चों के लिए चलाए जा रहे कदम केन्द्रों के संचालकों से मिलकर विभागीय नियमानुसार योग्य बच्चों का नजदीकी स्कूलों में दाखिला करवाना।
- विभाग के संज्ञान में आया है कि जिला गुरुग्राम व पंचकूला में कुछ एनजीओ स्कूल समय के दौरान बच्चों को स्कूल के बाहर पढ़ाते हैं, इसके लिए वो CSR या FCR से फंड लेते हैं। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत ऐसे Non-Formal स्कूल चलाना अनुचित है। अतः ऐसे सभी बच्चों का नामांकन सीधे उनके नजदीक के स्कूल में किया जाए।
- क्लस्टर स्तर पर टीम बनाकर गाँव, वार्ड में घर-घर जाकर मिलान किया जाए तथा पता किया जाए कि विद्यार्थी इस समय कहाँ है उसका पूरा विवरण लिखा जाए।
- प्रत्येक विद्यालय अपने नेबरहुड क्षेत्र को Zero Dropout घोषित करेगा। यह दायित्व स्कूल मुखिया की अध्यक्षता वाली टीम को सौंपा जाए। ऐसे विद्यार्थी जो न किसी स्कूल (प्राइवेट/सरकारी) में हैं और न ही राज्य को छोड़कर कहीं गये हैं, उन्हें Dropout श्रेणी में रखा जाए तथा इनके नामांकन के लिए समुचित आवश्यक कार्यवाही की जाए।
- Non Starter, Never Admit बच्चों की अलग से पहचान की जाए।
- इसके लिए निम्नानुसार टीम गठन किया जाना प्रस्तावित है :—
(i) विद्यालय स्तर पर:—

**HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD**
(Regd. Under Societies Registration Act, 1860)
Govt. of Haryana

- (a) सभी अध्यापक तथा स्कूल मुखिया इसके लिए जिम्मेदार होंगे। इसमें आंगनवाड़ी वर्कर, गाँव के नम्बरदार, षहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय MC इत्यादि को शामिल किया जाए। प्रत्येक वार्ड/गाँव को विभिन्न हिस्सों में बाँटकर कार्यवाही की जाए। जैसे परिवार पहचान पत्र (PPP) का डेटा Tagging के लिए दिया जाता था उसी प्रकार स्कूल में उपलब्ध अध्यापक संख्या में बाँटा जाए।
- (b) शहरी क्षेत्रों में आवेदन अधिक आते हैं विशेषकर राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालयों में, जहाँ माता-पिता का रुझान अधिक है। उक्त विद्यालयों में समुचित कमरे न होने के कारण सभी आवेदक विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दिया जा सकता और तुरंत ही नये कमरे बनाना भी संभव नहीं हैं, क्योंकि अधिकतर विद्यालयों में कमरे बनाने के लिए जमीन भी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण बहुत से बच्चे उक्त विद्यालयों में दाखिले से वंचित रह जाते हैं।
- (c) चंडीगढ़ शहर में सभी राजकीय विद्यालय दोहरी पारी में चलते हैं। माननीय ACSSE महोदय द्वारा विभाग को मौखिक निर्देश दिये गये हैं कि अधिकतर राजकीय विद्यालयों को दोहरी पारी में चलाया जाए। इसके लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को अधिकृत कर दिया जाए तथा इसके लिए समुचित निर्देश जारी किए जाएं।
- (d) दिनांक 2 अप्रैल 2025 से 20 अप्रैल 2025 के बीच स्कूल मुखिया और SMC प्रधान एक आम सभा की बैठक का आयोजन करेंगे जिसमें स्कूल की प्रगति में अहम भूमिका निभाने वाले स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) के सदस्यों के अलावा, माता-पिता, अभिभावक, पंचायत सदस्य और स्थानीय नेता व अन्य गणमान्य शामिल होंगे। इस बैठक में शिक्षक और स्कूल मुखिया स्कूल विकास और विद्यार्थियों के सीखने की जानकारी को प्रतिभागियों के साथ साझा करेंगे। इस बैठक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर और स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्य बाल कल्याण और शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार रखेंगे। समुदाय के जो भी सदस्य शिक्षा में रुचि रखते हैं, वे भी इस बैठक में शामिल होकर स्कूल को एक बेहतर सीखने और विकास के केंद्र बनाने में अपना सहयोग व योगदान दे सकते हैं। इस आम सभा का एजेंडा निम्नलिखित होगा। :-

तालिका 5 : स्कूल स्तर पर आम सभा का एजेंडा

S.No.	Time	Activity	Responsible Person
1	09:30 AM - 09:45 AM	Welcome & Opening Remarks - Welcome by School Head/SMC Chairperson - Introduction of SMC members, Panchayat leaders,	School Head / SMC Chairperson

Shiksha Sadan, 3rd & 4th Floor, Sector- 5, Panchkula||Web Site : www.hsspp.in ||



HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD
(Regd. Under Societies Registration Act, 1860)
Govt. of Haryana

		and attendees - Objective: Strengthening community participation in education	
2	09:45 AM - 10:15 AM	School Progress & Challenges - Update on enrollment, attendance, and student performance - Mid day meal, infrastructure, and classroom activities - Challenges in student retention & learning outcomes - Parents share feedback & concerns	School Head / Teachers
3	10:15 AM - 11:00 AM	Community's Role in Strengthening the School - How parents can support education at home - Panchayat's role in infrastructure & enrollment - SMC action plan: Increasing enrollment & school development - Parents & community pledge commitment to education	SMC Members / Panchayat Leaders
4	11:00 AM - 11:30 AM	Open Forum for Parents & Community - Parents voice concerns & suggestions - Discussion on classroom needs, scholarships, and teacher support - Resolving key issues collectively	Parents / Community Representatives
5	11:30 AM - 11:45 AM	Next Steps & Closing Remarks - Summary of key decisions & commitments - Formation of small committees for enrollment drives, school cleanliness, etc. - Vote of thanks	SMC Chairperson / School Head

(ii) कलस्टर स्तर पर:- सभी विद्यालयों के मुखियाएँ सम्बन्धित ABRC, CRC तथा स्थानीय ग्राम पंचायतों के सचिव, वार्ड के प्रतिनिधियों की सांझी कमेटी बनाई जाए। यह कमेटी पूरे कलस्टर की Zero Dropout Policy के तहत कार्य करने के लिए जिम्मेवार होगी।

(iii) खण्ड स्तर पर:- सभी खण्ड शिक्षा अधिकारी ABRC, BRP, IOLM तथा CRC मुखियाओं के साथ टीम के रूप में कार्य करेंगे तथा पूरे खण्ड के लिए जिम्मेवार होंगे। इसमें BEO तथा BEEO अपनी सांझी योजना बनाकर कार्य करेंगे।



HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD
(Regd. Under Societies Registration Act, 1860)
Govt. of Haryana

(iv) **जिला स्तर पर:**— पूरे जिले में DEO इसके प्रभारी होंगे जबकि DEEO सदस्य सचिव के रूप में कार्य करेंगे। DPC कार्यालय का पूरा स्टाफ जिसमें सभी APC को शामिल किया जाएगा, इसके अतिरिक्त जिले की DIET के प्रधानाचार्य तथा सभी स्टाफ सदस्य इस टीम का हिस्सा होंगे। यह सभी सदस्य कम से कम दो से तीन क्लस्टर के भी प्रभारी होंगे ताकि क्लस्टर में हो रहे कार्यों के साथ सीधे सम्पर्क रखते हुए प्रगति का अवलोकन किया जा सके। उप जिला शिक्षा अधिकारी भी खण्ड का पर्यवेक्षण करेंगे।

(v) **राज्य स्तरीय टीम:**— इसमें DGEE महोदय की अध्यक्षता में निदेशालय के अधिकारियों की टीम कार्य करेगी जो सीधे तौर पर पूरे राज्य के जिलों में Zero Dropout Policy को लागू करने तथा Zero Dropout बनाने का दायित्व लेगी। इस टीम के सदस्य प्रति सप्ताह कम से कम दो जिलों में बैठक करेंगे तथा प्रगति का अवलोकन करेंगे। यह सदस्य सीधे रूप में DGEE की योजना को धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। इनकी पूरी योजना में निम्नानुसार कार्य शामिल रहेंगे:—

- (a) जिला स्तरीय टीम के साथ कार्यक्रम सांझा करना तथा उनका मार्गदर्शन करना।
- (b) जिले को साप्ताहिक लक्ष्य प्रदान करना तथा उनकी प्रगति का अवलोकन करना।
- (c) जिला स्तरीय टीमों की विभिन्न बैठकों का आयोजन करना।
- (d) योजना को धरातल पर क्रियान्वयन की समीक्षा करना।
- (e) विभिन्न Data Base/ Platform/ प्रक्रिया पर प्रगति रिपोर्ट भरना।
- (f) DGEE को साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

नोट: निदेशालय तथा SCERT में कार्यरत अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक (प्रशासनिक तथा शैक्षणिक) को 22 जिलों का दायित्व सौंपा जाए ताकि इन जिलों की नामांकन प्रगति का जिला स्तर पर बेहतर पर्यवेक्षण किया जा सके।

जन भागीदारी व जागरूकता गतिविधियाँ और अभियान का प्रचार:—

- **मल्टी मीडिया प्लेटफॉर्म पर जागरूकता अभियान:**— प्रवेश उत्सव अभियान के दौरान की जाने वाली गतिविधियों, रैलियों, बालकों के दाखिला, स्वागत करने जैसी गतिविधियों का प्रचार-प्रसार भी किया जाना है। इसके लिए समाचार पत्र, रेडियो जिंगल, टीवी विज्ञापन, सोशल मीडिया वीडियो, फोटो, GIF और एनिमेटेड सामग्री का प्रयोग किया जाए।

**HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD**
(Regd. Under Societies Registration Act, 1860)
Govt. of Haryana

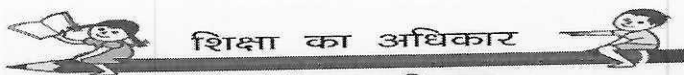
- उपायुक्त कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों (बस स्टैंड, बाजार, पंचायत कार्यालय) और विभागों की आधिकारिक वेबसाइटों पर पोस्टर, बैनर सरकारी स्कूलों में मिलने वाली सुविधाओं को उजागर करेंगे।
- विभिन्न समाचार-पत्रों में विज्ञापन देकर दाखिले के लिए आकर्षित किया जाए।
- EDUSAT के माध्यम से अध्यापकों, स्कूल मुखियाओं तथा विद्यालय प्रबन्धन समिति के सदस्यों को संबोधित किया जाए।
- सोशल मीडिया और प्रभावशाली लोगों की भागीदारी:— ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर #NIPUNHaryana #PraveshUtsav अभियान चलाया जाए। इसके लिए सोशल मीडिया पर प्रभावशाली लोग और छच्छ रिपोर्टर कार्यक्रम सफलता की कहानियाँ, वीडियो और प्रशंसा पत्र साझा करेंगे। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री महोदय के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट प्रवेश उत्सव कार्यक्रम को बढ़ावा देंगे जबकि उपायुक्त कार्यालय और डीपीआरओ कार्यालय की टीमों नामांकन प्रगति का प्रदर्शन करेंगी।
- विभागीय वीडियो का प्रसारण शहर में लगी डिजिटल स्क्रीन पर भी करवाया जाए।

8. समुदाय-आधारित नामांकन अभियान :-

- जमीनी जागरूकता और अभिभावकों की भागीदारी:— प्रवेश उत्सव कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वीडियो वैन और लाउडस्पीकर के माध्यम से घोषणाएं की जाएं। अभिभावकों और बच्चों को स्कूलों में नामांकन बारे आकर्षित करने के लिए विद्यार्थियों के नेतृत्व वाली रैलियाँ और स्कूल का दौरा कार्यक्रम आयोजित किए जाए। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों की अधिकतम पहुँच सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और पंचायत नेताओं को व्हाट्सएप संदेश, SMS भेजकर और घर-घर जाकर व्यक्तिगत निमंत्रण दिए जाए।

9. भूमिका एवं जिम्मेदारियां :-**तालिका 6 भूमिका एवं जिम्मेदारियां**

स्तर	जिम्मेदार	भूमिका एवं जिम्मेदारियां	कार्य अवधि	समीक्षा विधि	समीक्षक
राज्य स्तर	W/PSSE, W/DGEE, अतिरिक्त निदेशक, सहायक निदेशक, कार्यक्रम	• स्कूलों में नामांकन, ठहराव और शून्य ड्रॉपआउट के लिए राज्य स्तरीय नीति का कार्यान्वयन व	मासिक	राज्य शिक्षा पोर्टल डैशबोर्ड।	माननीय शिक्षा मंत्री



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

Phone: 0172-2590505
: 0172-2586026

HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD
(Regd. Under Societies Registration Act, 1860)
Govt. of Haryana

अधिकारी निपुण हरियाणा, निदेशक SCERT/MIS/IT	देखरेख। - उपरोक्त के लिए दिशा-निर्देश और वित्त पोषण के लिए अनुमोदन करना। - डैशबोर्ड के माध्यम से जिलों के प्रदर्शन की निगरानी करना - जिलों के साथ साप्ताहिक प्रगति की बैठकों का आयोजन करना। - शीर्ष प्रदर्शन करने वाले जिलों के लिए पुरस्कार और मान्यता को मंजूरी देना।	गूगल शीट विश्लेषण। PSSE और DGEE के साथ राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक।	
--	---	---	--

स्तर	जिम्मेदार अधिकारी	भूमिका एवं जिम्मेदारियां	कार्य अवधि	समीक्षा विधि	समीक्षक
जिला स्तर	DEO, DEEO, DPC, DIET Principal, State FLN Coordinator, Distt FLN Coordinator, APC, SMC Persident	- जिलाव्यापी अवस्थानंतर और ठहराव की योजनाओं को लागू करना। - BEO और CRC मुखियाओं के साथ मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित करना। - अन्य विभागों (डब्ल्यूसीडी, पंचायत आदि) के साथ समन्वय सुनिश्चित करना। - ब्लॉक और स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों के अवस्थानंतर डेटा और शून्य ड्रॉप आउट डेटा को सत्यापित करना। - ड्रॉपआउट रोकथाम के लिए सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों को संगठित करना।	मासिक	गूगल ड्राइव से समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करना। मासिक जिला समीक्षा बैठकों में समीक्षा करना।	SPD.

Shiksha Sadan, 3rd & 4th Floor, Sector- 5, Panchkula

|| Web Site : www.hsspp.in ||



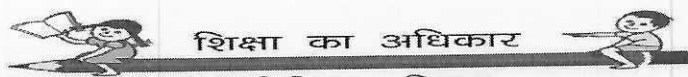
HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD
(Regd. Under Societies Registration Act, 1860)
Govt. of Haryana

स्तर	जिम्मेदार	भूमिका एवं जिम्मेदारियां	कार्य अवधि	समीक्षा विधि	समीक्षक
खंड स्तर	BEO, BEEO, BRC, BRP, IOLM (समावेशी मुक्त शिक्षण सलाहकार)	- ब्लॉक के अधीन सभी स्कूलों में 100 प्रतिशत नामांकन, ठहराव अवस्थानंतर को सुनिश्चित करना। - अवस्थानंतर की सत्यापन जाँच के लिए रेडमली निरीक्षण दौरे करना। - ब्लॉक स्तर पर पीटीएम और सामुदायिक जागरूकता अभियान आयोजित करना। - सीडब्ल्यूएसएन की सहायता से अवस्थानंतर की आवश्यकताओं (परिवहन, संसाधन, आईईपी) की निगरानी और समर्थन करना। - अवस्थानंतर और ठहराव के बारे में जिला कार्यालय को साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना	साप्ताहिक	गूगल शीट डैशबोर्ड (स्कूलों से जुड़ा हुआ)। मासिक ब्लॉक बैठकों में समीक्षा करना।	DEO, DPC, DEEO

स्तर	जिम्मेदार	भूमिका एवं जिम्मेदारियां	कार्य अवधि	समीक्षा विधि	समीक्षक
कलस्टर स्तर	CRC Head, ABRC, पंचायत सदस्य, स्थानीय NGO के सदस्य	- अवस्थानंतर ट्रेकिंग के लिए स्कूलों और ब्लॉकों के बीच संपर्क के रूप में कार्य करना। - ड्रॉपआउट के रिस्क वाले विद्यार्थियों की पहचान करने के लिए घरेलू सर्वेक्षण आयोजित करना। - छूटे हुए विद्यार्थियों का अनुसरण करके शून्य ड्रॉपआउट	प्रतिदिन	स्कूलों द्वारा गूगल फॉर्म जमा करना। क्लस्टर-स्तरीय समीक्षा बैठक	BEO, APC.

Shiksha Sadan, 3rd & 4th Floor, Sector- 5, Panchkula

|| Web Site : www.hsspp.in ||



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

Phone: 0172-2590505

: 0172-2586026

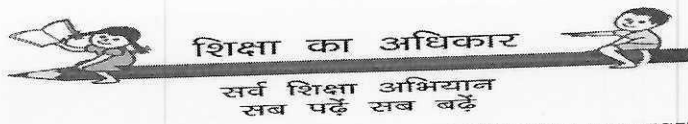
HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD
(Regd. Under Societies Registration Act, 1860)
Govt. of Haryana

		अनुपालन को सुनिश्चित करना। • अवस्थानंतर होने वाले विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित परिवहन और शिक्षण सामग्री वितरण का समन्वय करना। • Dropout रोकथाम जागरूकता के बारे में एसएमसी और पंचायतों के साथ जुड़ना।			
--	--	--	--	--	--

स्तर	जिम्मेदार	भूमिका एवं जिम्मेदारियां	कार्य अवधि	समीक्षा विधि	समीक्षक
विद्यालय स्तर	स्कूल मुखिया, कक्षा शिक्षक (कक्षा 5 और 8), एसएमसी सदस्य, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (प्रारंभिक ट्रेकिंग के लिए), सामुदायिक नेता	• कक्षा 5वीं और 8 वीं के विद्यार्थियों का अगली कक्षा 6 और 9 में परिणाम वाले दिन नामांकन सुनिश्चित करना। • प्रत्येक विद्यार्थी के अवस्थानंतर को ट्रैक करना और उच्च जोखिम वाले मामलों में जल्दी हस्तक्षेप करना। • माता-पिता के लिए परामर्श और मेंटरशिप सत्र आयोजित करना। • विद्यार्थियों की स्कूल जारी करना और 1 अप्रैल से पहले प्रवेश की औपचारिकताएँ पूरी करना। • अकादमिक ब्रिज प्रोग्राम और उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करना। • विद्यार्थियों के सहज समायोजन के लिए मित्र मेंटरशिप जैसे कार्यक्रम संचालित करना।	प्रतिदिन	गूगल शीट्स और स्कूल रजिस्टर प्रधान शिक्षक द्वारा स्कूल-स्तरीय समीक्षा	CRC Head & BEO

Shiksha Sadan, 3rd & 4th Floor, Sector- 5, Panchkula

|| Web Site : www.hsspp.in ||



Phone: 0172-2590505
: 0172-2586026

HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD
(Regd. Under Societies Registration Act, 1860)
Govt. of Haryana

10. समयावधि :-

तालिका 7 समयावधि

क्रम संख्या	गतिविधि विवरण	जिम्मेदारी	अंतिम तिथि
पहला चरण: तैयारी और जागरूकता (23 मार्च से 01 अप्रैल 2025)			
1	प्रवेश उत्सव के दौरान विद्या प्रवेश की शुरुआत	राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारी	23.03.2025
2	प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूलों और समुदायों में जागरूकता अभियान चलाना	स्कूल मुखिया, कक्षा शिक्षक, एसएमसी सदस्य, संबंधित ग्राम पंचायतें	24.03.2025 से 28.03.2025
3	विद्यार्थियों के दाखिले, अवस्थानंतर और ठहराव के बारे में जागरूकता के लिए विशेष अभिभावक शिक्षक बैठकों का आयोजन।	स्कूल मुखिया और सीआरसी हैड	1.04.2025
दूसरा चरण: छात्र नामांकन और स्थानांतरण में सहायता (02 अप्रैल से 20 अप्रैल 2025)			
4	कक्षा 5 और 8 के सभी विद्यार्थियों का उसी दिन कक्षा 6 और 9 में नामांकन सुनिश्चित करना	स्कूल मुखिया व कक्षा का प्रभारी शिक्षक	02.04.2025
5	जिन स्कूलों में उच्च प्राथमिक/माध्यमिक सेक्शन नहीं हैं। ऐसे बच्चों का पड़ोस के नजदीकी स्कूलों में नामांकन/ अवस्थानंतर सुनिश्चित करना	स्कूल मुखिया, बीईओ	02.04.2025
6	ऑनलाइन स्कूल छोड़ने का प्रमाण-पत्र (एसएलसी) जारी करने सहित सभी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी करना	स्कूल मुखिया	03.04.2025

Shiksha Sadan, 3rd & 4th Floor, Sector- 5, Panchkula

||Web Site : www.hsspp.in ||



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें



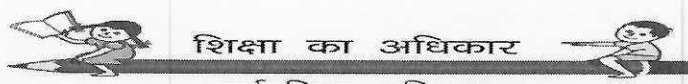
Phone: 0172-2590505
: 0172-2586026

HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD
(Regd. Under Societies Registration Act, 1860)
Govt. of Haryana

7	अगले स्कूल में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के साथ व्यक्तिगत रूप से उनके अगले स्कूल में जाना और उस स्कूल में बच्चों का प्रवेश सुनिश्चित करवाना	स्कूल मुखिया, शिक्षक	04.04.2025
8	सीखने के अंतराल की पहचान करने के लिए बेसलाईन मूल्यांकन प्रक्रिया का संचालन करना	शिक्षक, बीईओ	06.04.2025 से 10.04.2025
9	उच्च कक्षाओं में जाने वाले विद्यार्थियों के लिए परिचयात्मक सत्र का आयोजन करना	स्कूल मुखिया, शिक्षक	10.04.2025 से 12.04.2025
10	School level SMC Meeting	School Head, सामुदायिक नेता and एसएमसी मुखिया	02.04.2025 से 20.04.2025
तीसरा चरण: कक्षाओं का सुचारु संचालन और ड्रॉप आउट को रोकना (21 अप्रैल से 15 मई 2025)			
11	बच्चों की दैनिक उपस्थिति की निगरानी करना और ड्रॉपआउट की रोकथाम के लिए जोखिम वाले विद्यार्थियों की पहचान करना।	कक्षा शिक्षक, सीआरसी मुखिया	जारी
12	CWSN विद्यार्थियों का नए स्कूल/ कक्षा में सफलतापूर्वक समायोजन सुनिश्चित करना।	विशेष शिक्षक, स्कूल मुखिया	30.04.2025
13	सीखने में संघर्ष करने वाले विद्यार्थियों की सुधारात्मक शिक्षण से मदद करना	शिक्षक, FLN समन्वयक	01.05.2025 से 10.05.2025
चौथा चरण: समेकन और अंतिम मूल्यांकन (16 मई से 30 मई 2025)			

Shiksha Sadan, 3rd & 4th Floor, Sector- 5, Panchkula

||Web Site : www.hsspp.in ||



शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

Phone: 0172-2590505
: 0172-2586026

HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD
(Regd. Under Societies Registration Act, 1860)
Govt. of Haryana

14	राज्य स्तर पर समीक्षा के लिए विद्यालयवार प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा उच्च प्रदर्शन करने वाले जिलों को मान्यता प्रदान करना	जिला एफएलएन टीम, राज्य शिक्षा विभाग	26.05.2025 से 30.05.2025
----	--	-------------------------------------	-----------------------------

12. स्कूलों के लिए प्रशंसा/प्रमाण पत्रों के लिए पात्रता मानदंड और लक्ष्य:-

(क) स्वर्ण प्रमाण पत्र:-

- 30 मई 2025 तक 100 प्रतिशत प्रवेश, 100 प्रतिशत अवस्थानंतर और 100 प्रतिशत ठहराव करने पर प्राप्त होगा।
- शून्य ड्रॉपआउट की स्थिति बनाए रखने पर मिलेगा।
- 2024-25 शैक्षणिक वर्ष की तुलना में विद्यार्थी नामांकन में न्यूनतम 30 प्रतिशत की वृद्धि होने पर प्राप्त होगा।

(योग्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 50 अतिरिक्त छात्रों का नामांकन होना चाहिए)।

(ख) रजत प्रमाण पत्र:-

- शैक्षणिक वर्ष 2025-26 की तुलना में विद्यार्थी नामांकन में कम से कम 20 प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करने पर मिलेगा।

(योग्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 30 अतिरिक्त छात्रों का नामांकन होना चाहिए)।

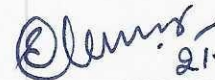
(स) कांस्य प्रमाण पत्र:-

- शैक्षणिक सत्र 2025-26 की तुलना में छात्र नामांकन में कम से कम 15 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने पर मिलेगा।

(योग्यता प्राप्त करने के लिए कम से कम 20 अतिरिक्त छात्रों का नामांकन होना चाहिए)।

(द) अतिरिक्त नामांकन मानदंड:-

- यदि प्रतिशत वृद्धि और न्यूनतम विद्यार्थियों के नामांकन की आवश्यकता के बीच अंतर है तो उच्च मूल्य पर विचार किया जाएगा।

 21.03.2025

सहायक सलाहकार

कृते: राज्य परियोजना निदेशक

हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद्, पंचकूला

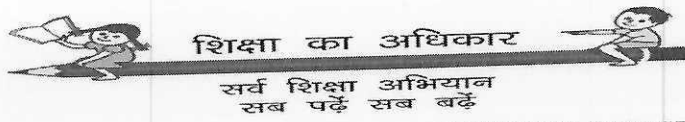
पृष्ठांकन क्रमांक: सम -28323-25

दिनांक 21/03/2025

उपरोक्त की एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

Shiksha Sadan, 3rd & 4th Floor, Sector- 5, Panchkula

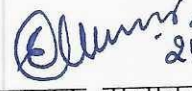
||Web Site : www.hsspp.in ||



Phone: 0172-2590505
: 0172-2586026

HARYANA SCHOOL SHIKSHA PARIYOJNA PARISHAD
(Regd. Under Societies Registration Act, 1860)
Govt. of Haryana

1. निजी सहायक, माननीय महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
2. निजी सहायक, माननीय निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा, पंचकूला।
3. सहायक प्रबन्धक, माननीय राज्य परियोजना निदेशक, हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद् पंचकूला।


21.03.2025

सहायक सलाहकार
कृते: राज्य परियोजना निदेशक
हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद्, पंचकूला

Shiksha Sadan, 3rd & 4th Floor, Sector- 5, Panchkula
||Web Site : www.hsspp.in ||

महीपाल ढांडा
Mahipal Dhanda



D.O. No. Secy/SEM/2025/28
विद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा, अभिलेखागार तथा
संसदीय मामले मंत्री, हरियाणा
School & Higher Education, Archives &
Parliamentary Affairs Minister, Haryana
Dated, Chandigarh. 12/03/2025

विषय:- कम नामांकन वाले विद्यालयों में समुचित सुधार हेतु प्रयास करने का आह्वान।

मुझे आशा है कि आप स्वस्थ और उत्साह से भरे हुए होंगे। हाल ही में विभागीय समीक्षा के दौरान मेरे समक्ष यह चिंता प्रकट हुई कि हरियाणा के लगभग 1,200 प्राथमिक, मिडल, उच्च तथा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों के नामांकन में गिरावट देखी गई है। दुर्भाग्य से, इनमें से कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो आपके अधीन आते हैं। यह आवश्यक है कि हम मिलकर इस समस्या का समाधान शीघ्र और दृढ़ निश्चय के साथ करें ताकि अन्य विद्यालयों की तरह नामांकन को बढ़ाया जा सके।

शिक्षा विभाग ने विशेष योजना बनाकर छात्र नामांकन बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए हैं, पिछले वर्ष प्रवेश उत्सव अभियान के अंतर्गत अध्यापकों एवं अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर विद्यार्थियों को जोड़ने के प्रयास किए गए, जिससे कई जिलों में उल्लेखनीय सफलता मिली। उदाहरण के लिए गुरुग्राम, पानीपत और पंचकूला में छात्रों की संख्या में 10% तक वृद्धि हुई। राज्य के अनेक स्कूलों को इन प्रयासों से लाभ हुआ। इसके लिए अध्यापक समाज बधाई का पात्र है।

लेकिन कुछ विद्यालयों में स्थिति अब भी चिंताजनक है। यह निराशाजनक है कि इन विद्यालयों ने वांछित स्तर तक प्रयास नहीं किया, संभवतः इसलिए इनके यहां सामुदायिक भागीदारी और ठोस प्रयासों का अभाव रहा है।

जैसा कि हम सब जानते हैं कि नामांकन में गिरावट के कई और जटिल कारण भी हो सकते हैं। बोर्ड परीक्षा के परिणाम, शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों का प्रदर्शन, आधारभूत संरचना, स्कूल का खुशहाली सूचकांक (हैप्पीनेस इंडेक्स), सह-पाठ्यक्रम और अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ तथा सामुदायिक भागीदारी जैसे कारक नामांकन को प्रभावित करते हैं। हालांकि विभाग तथा इसके कर्मठ अध्यापकों, स्कूल मुखियाओं ने इन सभी मुद्दों को सुलझाने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। लेकिन यह स्पष्ट है कि सामुदायिक भागीदारी के बिना कोई भी सरकारी योजना सफल नहीं हो सकती। राज्य के उच्च नामांकन वाले विद्यालयों में सक्रिय समुदाय सहभागिता और स्कूल प्रबंधन समितियों (SMC) ग्राम पंचायत, NGOs और स्थानीय नेताओं का योगदान प्रशंसनीय है, जो यह प्रमाणित करता है कि सामुदायिक गतिशीलता के बिना स्कूल की वृद्धि और विकास संभव नहीं है तथा कम नामांकन वाले स्कूलों में इस

Room No. 42, 6th Floor, Haryana Civil Secretariat, Sector-1, Chandigarh.
Telephone No. 0172-2743709, Mob. No. 94160 50827, Email : emhry2024@gmail.com
कमरा न0 42, 6वीं मंजिल, हरियाणा सिविल सचिवालय, सैक्टर-1, चण्डीगढ़।
फोन न0 0172-2743709, मो0 न0 94160-50827, ई-मेल : emhry2024@gmail.com

प्रकार की सामुदायिक भागीदारी का अभाव होता है। यह स्थिति विद्यार्थियों के लिए प्रतिस्पर्धा और पठन-पाठन के वातावरण को सीमित करती है, जिससे उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

अतः एक शिक्षक के रूप में, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप समुदाय के साथ मजबूत संबंध स्थापित करें। ग्राम पंचायत, प्रभावशाली स्थानीय व्यक्तियों, NGOs और अन्य संगठनों के साथ मिलकर अपने विद्यालय की विशेषताओं और लाभों का प्रचार करें। आप उन विद्यालयों का दौरा करें जो इन चुनौतियों से सफलतापूर्वक उबर चुके हैं तथा उनकी उन रणनीतियों से सीखें जिनके बल पर उन्होंने यह सफलता प्राप्त की है। अपने विद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप एक कार्य योजना तैयार करें, स्टाफ सदस्यों के बीच जिम्मेदारी बांटें और प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित कर पूरी टीम को साथ लेकर कार्य करें।

आपको यह भी अवगत करवाना चाहता हूँ कि कम नामांकन वाले विद्यालयों की वित्तीय तथा तार्किक समस्याएँ भी हैं जो बहुत ही गंभीर हैं। इन विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती अन्य विद्यालयों के शिक्षक-छात्र अनुपात को प्रभावित करती है और प्रतिविद्यार्थी अनुमानित खर्च ₹62,000/- से अधिक है। इसमें से 80% तो केवल वेतन पर खर्च होता है जिससे विद्यार्थियों को अन्य सुविधाओं के लिए उतनी राशि नहीं मिल पाती जितनी अनिवार्य है। आपके साथ एक और बात साझा करना चाहूँगा कि MIS की रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ है कि कुछ शिक्षक 5 से 10 वर्षों तक कम नामांकन वाले विद्यालयों में कार्यरत हैं। उनके कार्यकाल के दौरान प्रतिवर्ष नामांकन कम होता जा रहा है लेकिन उनके द्वारा स्थिति में सुधार के लिए ठोस प्रयास नहीं किए गए हैं जोकि उचित नहीं है।

साथियों सरकार आप के वेतन में निवेश करती है ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, माता-पिता प्राइवेट विद्यालयों की भारी भरकम फीस से बचें तथा सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अपने बच्चों को दिलवायें। हमारे हजारों सरकारी विद्यालय ऐसे हैं जो शानदार रूप से प्रतिस्पर्धा में खड़े हैं तथा आज भी विद्यार्थियों की पहली पसन्द बने हुए हैं, हमें उन से सीखना चाहिए।

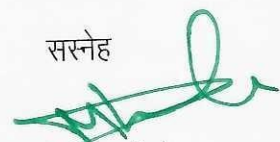
साथियों बहुत ही विनम्रता से मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यदि आपके विद्यालयों में नामांकन के आंकड़ों में सुधार नहीं आया तो आगामी स्थानांतरण और रेशनलाइजेशन प्रक्रिया के दौरान आपको उन स्कूलों में स्थानांतरित किया जाएगा जहाँ आपकी सेवाओं की अधिक आवश्यकता है तथा आपके मौजूदा स्कूलों के विद्यार्थियों 'विद्यार्थी परिवहन सुरक्षा योजना' के तहत बेहतर विद्यालयों में

जाने के लिए निःशुल्क परिवहन प्रदान किया जाएगा, जहाँ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और बेहतर सीखने का माहौल उपलब्ध होगा।

साथियों मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूँ कि आप के पास एक सार्थक बदलाव लाने का अवसर है। आप पूरी मेहनत और समर्पण के साथ अपने विद्यालय को फिर से एक समृद्ध शिक्षण केंद्र में परिवर्तित करने के लिए कार्य करें। यह असंभव नहीं है, आपके जैसे हजारों अध्यापकों ने गतवर्षों में यह करके दिखाया है वह रोल मॉडल आपके सामने हैं।

अतः आप हितधारकों से जुड़ें, सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाएँ और नामांकन बढ़ाने के लिए दृढ़ प्रयास करें। हमारे विद्यालयों और शिक्षा की गुणवत्ता का भविष्य आपकी प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। अतः इसके लिए एक टीम के रूप में अपना अमूल्य योगदान दें। आइए, हम मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाएं जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी को उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त हो सके और हमारे विद्यालय समुदाय के स्तंभ के रूप में अपनी पहचान पुनः स्थापित करें।

सस्नेह



(महीपाल ढांडा)

सेवा में,

श्री/श्रीमती _____

अध्यापक/अध्यापिका

रा।0 _____ विद्यालय